न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पदासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 57/21
दायर दिनांक– 16/07/2021
निर्णय दिनांक– 04/09/2025

1. पुनम पिता उदयदास वैरागी निवासी ओड़ा हाल निवासी बस स्टेण्ड मोड़ी उदयपुर जिला उदयपुर

वादीया

बनाम

1. प्रकाश पिता उदयदास वैरागी निवासी ओड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. शाखा प्रबंधक ICICI बैंक शाखा मोही तहसील व जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

उपस्थित :–

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से – श्री गुरलीधर दशोरा अधिवक्ता
अधिवक्ता प्रतिवादीगण –श्री अनिल यादव अधिवक्ता

दिनांक 04/09/2025

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधज्ञा

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम ओडा पटवार हल्का ओडा तहसील रेलमगरा की वर्तमान जमाबन्दी में 691, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 813 कुल किता 08 कुल रकबा 1.6674 हैक्टेयर कृषि भूमियां स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात स्थित है जो आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी स. 01 के पिता उदयदास पिता दौलतदास वैरागी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिनकी मृत्यू 19/10/2019 को हो चुकी है परन्तु नामान्तरकरण वादीया एवं प्रतिवादी स. 01 के नाम पर निर्णित नहीं हुआ है जो आराजीयात स्थित है खाता स0 17 आ0 स0 691, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 813 कुल किता 08 कुल रकबा 1.6674 हैक्टेयर प्रमाण में नकल जमाबंदी व नवशाट्रेस साथ संलग्न है वाद पत्र कि कलम संख्या 01 ने वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 01 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज। इसी अनुरूप वादीया विभाजन कराना चाहती है जिस निमित यह वाद प्रस्तुत है वादी एवं प्रतिवादी स0 01 अपनी सुविधानुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर कास्त कर रहे है लेकिन लगान जमा कराने के लिए भूमि को उपजाउ बनाने व भूमियों का विकास करने के लिए विभाजन आवश्यक है जिससे वादीया राजस्व रेकार्ड में विभाजन कराकर मौके पर स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करना चाहती है जिसके लिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है वादीया एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर पारिवारिक समझोते के अनुसार काबिज होकर कास्त कर रहे है मात्र राजस्व रेकार्ड में भूमि का विभाजन कर स्वतंत्र हिस्सा करवाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत है कलम सं0 01 में कलम सं0 01 में वर्णित आराजीयात के खातेदार उदयदास पिता दौलतदास वैरागी

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

भवासी ओड़ा की मृत्यू दिनांक 19/10/2019 को हो चुकी है एवं नामांतरकरण की
र्यवाही नहीं हुई है जिस कारण वादपत्र की पैरा सं0 01 में वर्णित आराजीयात में
दीया व प्रतिवादी सं0 01 का 1/2 – 1/2 हिस्सा है जिस घोषणा का वाद भी
लम सं0 01 में वर्णित आराजीयात को विभाजन हेतु आज से एक माह पुर्व कहा परन्तु
तिवादी ने मना कर दिया जिस कारण वादी का वाद हेतुक आज से एक माह पुर्व से
त्पन्न होकर निरंतर जारी है प्रतिवादी सं0 02 के यहां उक्त भूमियां रहन होने से
ावश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं0 03 भुधारक होने से आवश्यक
क्षकार बनाया गया है तथा वाद विभाजन का होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है
गर प्रतिवादी सं0 02 व 03 के विरूध्द किसी प्रकार की कोई दाद नहीं चाही गई है
विभाजन पश्चात वादी को प्राप्त होने वाली भूमियों में प्रतिवादी सं0 01 किसी प्रकार की
दखलंदाजी, हस्तक्षेप, वाधा कारीत नहीं करे इस हेतु उन्हे स्थाई निषेधज्ञा से प्रतिबंधित
फरमाया जावें वादग्रस्त आराजीयात मोझा ओड़ा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से
वाद का श्रवणाधिकर व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको है वादपत्र घोषणा, विभाजन एवं
स्थाई निषेधज्ञा का होने से वाद का मुल्यांकन 2,00,000/– रूपये कायम किया जाकर
निश्चित न्याय शुल्क 02/– रूपये पर प्रस्तुत है अतः प्रार्थना है कि वादीया के पक्ष में
एवं प्रतिवादी सं0 01 के विरूध्द इस आशय की प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री प्रचलित
फरमाई जावें कि वाद पत्र कि पेरा सं0 01 में वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/2
हिस्सा घोषित फरमाया जाकर उक्त आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी सं0 01 के मध्य
उक्त हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर वादीया को अपने हिस्से का राजस्व रेकार्ड
में अंकन फरमाया जाने कि डिक्री प्रचलित फरमाई जावे। विभाजन के पश्चात वादीया
को प्राप्त होने वाली आराजीयरत में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलंदाजी हस्तक्षेप बाधा
कारीत नहीं करे इस निमित प्रमिवादी सं0 01 को जरीये स्थाई निषेधाज्ञ से प्रतिबंधित
फरमाया जावें वाद वव्यय वकील महेनताना वादीया को प्रतिवादी से दिलाया जावें अन्य
कोइ समुचित सहायता जो वादीया प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलाई जावें।ऐसी स्थिति
में वादीगण द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है कि
जिससे यह सिद्व होता हो कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में पूर्व खातेदारी स्व. उदयदास की
जायन्दा ओलाद (संतान) पुत्री नही है और ना ही वादीगण द्वारा वादपत्र में पूर्व खातेदार
स्व. उदयदास व कंचन देवी के सम्पर्क से प्रतिवादी संख्या एक उत्पन्न हुआ। व वादीया
की माता अपने पति को छोड कर नाते चली गई और सुन्दरदास के साथ कंचन देवी
पत्नी बन कर रही व सुन्दरदास के सम्पर्क से वादीया का जन्म हुआ अर्थात वादीया के
प्राकृतिक पिता सुन्दरदास है,उदयदास वादीया का पिता नही हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण
दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रहे एवं वादीगण का
वाद कुसंयोजन व असंयोजन से भी ग्रसित होने से न्याय संगत नही है। इस सन्दर्भ में
प्रतिवादी की ओर से प्राधानाचार्य गरदाना जिला चितौडगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र का
प्रस्तुत किया जो एक लोक दस्तावेज होकर वादी की ओर से उक्त दस्तावेज का कोई
खण्डन नही किया गया हैं। जिससे प्रार्थना पत्र से पुनम कुमारी पुत्री सुन्दरलाल वैष्णव
का प्रमाण पत्र ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को बल मिलता है अतः समस्त विवेचन के
आधार पर पुनम उदयदास की पुत्री हो साबित करने में वादपक्ष असफल रहा हैं।जिससे
वादीया का वाद साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया जाता है। पक्ष कारान खर्चा अपना
अपना वहन करें। पत्रावली निर्णित होकर प्रविष्टी कम की जाकर निर्णित अभिलेख में
रखी जावें।

उपखण्ड अधिकारी

: : आदेश : :

अतः प्रकरण में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्ध रने में असफल रहने एवं वादीगण का वाद कुसंयोजन व असंयोजन से भी ग्रसित होने वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है। सी अनुसार डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2025 के मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे जलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पाठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :–57/2021

वादी पक्ष :–

1. पुनम पिता उदयदास वैरागी निवासी ओड़ा हाल निवासी बस स्टेण्ड मोड़ी उदयपुर जिला उदयपुर

प्रतिवादीपक्ष :–

1. प्रकाश पिता उदयदास वैरागी निवासी ओड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. शाखा प्रबंधक ICICI बैंक शाखा मोही तहसील व जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

दावा :– वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादी की ओर से – श्री मुरलीधर दशोरा अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से –श्री अनिल यादव अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 04/09/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्ध करने में असफल रहने एवं वादीगण का वाद कुसंयोजन व असंयोजन से भी ग्रसित होने से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 04/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा